

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद ।

### प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 25/03/2017 को पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार क्रम में संगम पैलेस व्यवसायिक केन्द्र की रिक्त 10 दुकानों का आवंटन प्राप्त पंजीकृत आवेदकों के मध्य नीलामी के माध्यम से इन्दिरा भवन के 8वे तल के सभागार में सम्पादित हुई जिसमें 10 दुकानों का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया जिससे प्राधिकरण की कुल लगभग रू० 243.000 लाख की सम्पत्ति निस्तारित हुई।

उक्त नीलामी स्वतन्त्र पर्यवेक्षक श्री परमात्मा सिंह (सेवा निवृत्त आई०ए०एस) की उपस्थिति में प्राधिकरण आवंटन समिति के सदस्य श्री गुडाकेश शर्मा सचिव/अपर सचिव, विशेष कार्याधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय उप सचिव श्री परमानन्द यादव तथा पंजीकृत आवेदक उपस्थित रहे।

आज दिनांक 25/03/2017 को जोनल अधिकारी श्री जयराम मौर्या के नेतृत्व में शान्तीपुरम में अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही के दौरान डा० रामकुमार केसरवानी द्वारा सेक्टर जी 42 पर शान्तीपुरम पर निर्माणाधीन तीन मंजिला अवैध निर्माण सील।

इसी क्रम जोन संख्या 04 जोनल अधिकारी श्री पुष्कर श्रीवास्तव के नेतृत्व में श्री अनवार अहमद के द्वारा दरियाबाद चाचर नाले के पास निर्माणाधीन निर्माण सील।

इसी क्रम में जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व जोन संख्या 1 उप जोन संख्या 1सी के अन्तर्गत अवैध निर्माणों के विरुद्ध तीन निर्माणों को सील किया गया तथा चार अवैध निर्माण स्थलों से निर्माण सामग्री जब्त करते हुये निर्माण कार्य बन्द कराया गया।

1. श्री हसनैन द्वारा नीमसराय आवास योजना में लगभग क्षेत्रफल (30\*35) में जारी निर्माण सील,
2. श्री संजय केसरवानी पुत्र जगत नारायण केसरवानी मकान न० 131 नीमसराय आवास योजना में भूतल, प्रथम व द्वितीय तल पर निर्माण सील।
3. श्री संतोश सिंह पुत्र श्री कमेश वर सिंह आराजी संख्या 1042 जुजभाग उमर पुरनीवा 30\*50 भूतल पर निर्माणाधीन भवन सील।
4. श्री अवधश पुत्र श्री रामसुधाकर सिंह आराजी संख्या 1012 पार्ट उमरपुर नीवा लगभग 20\*45 में भूतल का निर्माण सील।
5. श्री नौरौगी लाल केसरवानी पुत्र रामअवतार केसरवानी मकान न० 447 एफ ट्रान्सफोर्ट नगर निर्माण सामग्री जप्त कर कार्य बन्द कराया गया।
6. श्री पवन कुमार पुत्र श्री गुल्लू प्रसाद मकान न० 18ए/1 ट्रान्सफोर्ट नगर निर्माण सामग्री जब्त कर कार्य बन्द कराया गया।
7. श्रीमती शशिलता पत्नी सुनील कुमार श्रीवास्तव आराजी सं० 1042 जुजभाग उमरपुर नीवा लगभग 28\*40 में निर्माण सामग्री जब्त कराते हुए निर्माण कार्य बन्द कराया गया।
8. श्री पी०एन चौहान पुत्र रामसेवक चौहान भू० सं० 71 जाहन्वीपुरम् नीव स्तर पर निर्माण कार्य बन्द कराया गया।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभिन्ता, श्री अशोक शक्ला, श्री महेश चौधरी भवन निरीक्षक श्री राजेश पाण्डेय एडीए प्रवर्तन दल एव पुलिस बल उपस्थित रहे।

(ए०के० पाण्डेय)

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क

प्रतिलिपि:— सम्पादक—समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्रों में निः शुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क